

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 992 सन 2021

अनदान :-

1. सरजीत कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. सोनू कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. बसन्त कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. अशोक कुमार पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये माता बन्तो देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
7. नरेश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
8. प्रमोद बैनिवाल पुत्र नरेश जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
9. अमित पुत्र नरेश जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
10. सरबती पत्नी काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
11. गुडडी पुत्री काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
12. धापा पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
13. सरिता पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
14. मन्जू पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
15. शारदा पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
16. सुमन पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
17. राधा पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये माता बन्तोदेवी पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. मोनिका पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 की कुल 11.3350 हैक् भूमि काशीराम पुत्र बीरबल के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पूर्वज है काशीराम पुत्र बीरबल का देहान्त है चुका है काशीराम पुत्र बीरबल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 जो जो प्रतिवादी संख्या 8 ,9 को पिता है ने दुसरे खाते में भूमि रखी जाकर अपने हकों का त्याग किया गया है प्रतिवादी संख्या 10 ता 18 वादी की बुआ/बहने है एवं काशीराम पुत्र बीरबल की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 10 ता 18 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की काशीराम पुत्र बीरबल जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पूर्वज है काशीराम पुत्र बीरबल का देहान्त है चुका है काशीराम पुत्र बीरबल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 10 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पूर्वज है काशीराम पुत्र बीरबल का देहान्त है चुका है काशीराम पुत्र बीरबल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो काशीराम पुत्र बीरबल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ,10 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7, 10 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ,10 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों

एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/44(549) के किला न0 1/2 की 0.2020 ,2/.2530 ,9/0.2530 ,10/2 की 0.2030 ,11/2 की 0.2030 ,12 ता 14/0.7590 , 20/2 की 0.2020 हैक कुल 2.834 हैक भूमि वादी 2.024 हैक भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 0.810 हैक भूमि सयुक्त तौर से रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/36(550) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 157/37(613) किला न0 4 ,5/0.5060 ,प0न0 157/44(549) किला न0 21/2 की 0.1770 हैक , 22/2 की 0.2280 हैक , 23/1 की 0.2280 ,24/1 की 0.2280 ,प0न0 157/45 (614) किला न0 1/2 की 0.2020 हैक किला न0 2 ता 5/1.0120 हैक कुल 2.834 हैक बहिब प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/35 (536) किला न0 14 ता 17/1.0120 हैक , 24/.2280 ,25/.2280 हैक प0न0 157/43 (537) किला न0 11/2 की 0.2030 हैक उतरी हिस्सा, किला न0 12/0.2530 उतरी हिस्सा 19/0.2530 , 20/2 की 0.2020, 21/1 की 0.2020, 22/0.2530, कुल 2.834 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का 0.810 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 2.024 हैक भूमि सयुक्त तौर से रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/35(536) के किला न0 24/0.0250 हैक , 25/0.0250 व प0न0 157/36(550) किला न0 3 ता 8/1.518 हैक दक्षिण हिस्सा एवं दक्षिणी हिस्सा किला न0 14 ता 17 /1.0120 हैक किला न0 24/0.2530 हैक कुल 2.833 हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है काशीराम पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हुनमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... बिरकाली

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सरजीत कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
वादी

बनाम

- 1 कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
2. इन्द्राज पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
3. सोनू कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
4. बसन्त कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
5. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
6. अशोक कुमार पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये माता बन्तो देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
7. नरेश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
8. प्रमोद बैनिवाल पुत्र नरेश जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
9. अमित पुत्र नरेश जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
10. सरबती पत्नी काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
11. गुडडी पुत्री काशीराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
12. धापा पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
13. सरिता पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
14. मन्जू पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
15. शारदा पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
16. सुमन पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
17. राधा पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये माता बन्तोदेवी पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. मोनिका पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 992 सन 2021 निर्णय दिनांक- 26.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/44(549) के किला न0 1/2 की 0.2020 ,2/.2530 ,9/0.2530 ,10/2 की 0.2030 ,11/2 की 0.2030 ,12 ता 14/0.7590 , 20/2 की 0.2020 हैक कुल 2.834 हैक भूमि वादी 2.024 हैक भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 0.810 हैक भूमि सयुक्त तौर से रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/36(550) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 157/37(613) किला न0 4 ,5/0.5060 ,प0न0 157/44(549) किला न0 21/2 की 0.1770 हैक , 22/2 की 0.2280 हैक , 23/1 की 0.2280 ,24/1 की 0.2280 ,प0न0 157/45 (614) किला न0 1/2 की 0.2020 हैक किला न0 2 ता 5/1.0120 हैक कुल 2.834 हैक बहिब प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/35 (536) किला न0 14 ता 17/1.0120 हैक , 24/.2280 ,25/.2280 हैक प0न0 157/43 (537) किला न0 11/2 की 0.2030 हैक उतरी हिस्सा, किला न0 12/0.2530 उतरी हिस्सा 19/0.2530 , 20/2 की 0.2020, 21/1 की 0.2020, 22/0.2530, कुल 2.834 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का 0.810 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 2.024 हैक भूमि सयुक्त तौर से रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 58/47 के प0न0 157/35(536) के किला न0 24/0.0250 हैक , 25/0.0250 व प0न0 157/36(550) किला न0 3 ता 8/1.518 हैक दक्षिण हिस्सा एवं दक्षिणी हिस्सा किला न0 14 ता 17 /1.0120 हैक किला न0 24/0.2530 हैक कुल 2.833 हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है काशीराम पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...बिरकाली